भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

लद्दाख का राजपत्र
The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-25082023-1233
SG-LD-E-25082023-1233

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 24 अगस्त, 2023
LADAKH, THURSDAY, AUGUST, 24, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

विधि एवं न्याय विभाग

Email: secy-law@ladakh.gov.in

कमरा नंबर: 101, भूतल
पुरानी जेएनवी बिल्डिंग,
यूटी सचिवालय,
लेह- 194101

विषय: लापता बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को सूचीबद्ध करने की योजना।

संदर्भ: भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या.427/2022 के तहत बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक से पारित आदेश दिनांक 19.09.2022

आदेश संख्या :17-LA(LD) of 2023
दिनांक : 10 जुलाई 2023

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या.427/2022 शीर्षक बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 के अनुपालन में, संघ राज्य प्रशासन लद्दाख, पैटर्न-इन-चीफ (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश) के परामर्श से, लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य लद्दाख में लापता बच्चों और उनके खिलाफ अन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन में पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को सूचीबद्ध करने की योजना(इस आदेश का अनुलग्नक-ए) को अधिसूचित करता है।

माननीय उपराज्यपाल लद्दाख के आदेश से जारी।

(फ़याज़ अहमद शेख)
सचिव, विधि एवं न्याय

सं.: Secy/L&JUTL/2023/367-72 दिनांक: 10.07.2023

अनुलग्नक-ए

आदेश संख्या : 17-LA(LD) of 2023 दिनांक : 10.07.2023

संघ राज्य लद्दाख में लापता बच्चों और बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के पैनल की योजना

बचपन बचाओ आंदोलन बनाम **भारत संघ** शीर्षक मामले में रिट याचिका (सी) संख्या **427** में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **19-09-2022** को पारित आदेश के अनुपालन में संघ राज्य प्रशासन लद्दाख ने लापता बच्चों और बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराधों के लिए पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध करने की योजना तैयार की है।

संघ राज्य लद्दाख में लापता बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के पैनल की योजना।

I. पृष्ठभूमि

निःशुल्क कानूनी सहायता और सहायता का अधिकार किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है। यह अनुच्छेद **21** की गारंटी में निहित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आपराधिक प्रक्रिया के सभी चरणों में न्याय तक पहुंच उपलब्ध हो। आपराधिक प्रक्रिया के शुरुआती चरण में न्याय तक पहुंच का अपना महत्त्व है। यह अन्य बातों के अलावा, ऐसे समय में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है जब वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।

जबकि आपराधिक मुकदमा चलाने के चरण में एक प्रशिक्षित वकील की सेवाओं की उपलब्धता और अनुमानतः, उन लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता, जो अपने बल पर वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते, अधिकांश न्यायक्षेत्रों में आम है, फिर भी पूर्व-परीक्षण चरणों के दौरान कानूनी सहायता का अपना महत्त्व है। यह ऐसे समय में लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है जब वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।
बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 75/2012 के माध्यम से कहा कि:

> "प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष रूप से निर्देशित और प्रशिक्षित कम से कम एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए, जो किशोर अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में किशोर कल्याण अधिकारी के रूप में नामित किया जाना चाहिए। हम इस सुझाव को भी स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि पुलिस स्टेशन में शिफ़्ट में एक विशेष किशोर अधिकारी की ड्यूटी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस आदेश में निहित निर्देशों का विधिवत कार्यान्वयन किया जा रहा है। **सुरक्षा में और वृद्धि के लिए, हम राष्ट्रीय**

कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसका प्रतिनिधित्व उसके सदस्य सचिव विज्ञ अधिवक्ता सुश्री अनिता शेनॉय, के माध्यम से कर रहे हैं, को भी निर्देश देते हैं, कि पैरा-कानूनी स्वयंसेवकों, जिन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा भर्ती किया गया है, की सेवाओं का उपयोग किया जाए, ताकि लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के तरीके पर नजर रखने के लिए पुलिस स्टेशन में शिफ़्ट में कम से कम एक पैरा-लीगल स्वयंसेवक मौजूद रहे।

यह संवैधानिक आदेश भी है कि कानूनी सहायता एक मौलिक अधिकार है। भारत का संविधान अनुच्छेद 39ए पैरा लीगल स्वयंसेवकों को विशेष महत्त्व देता है और इसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे, और विशेष रूप से, न्याय पाने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण वंचित नहीं किया जाएगा ।

संवैधानिक आदेश के अनुसार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण ने लापता बच्चों के मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए संघ राज्य लद्दाख के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना तैयार की है।

योजना का नाम: इस योजना को संघ राज्य लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण (लापता बच्चों के लिए पुलिस स्टेशनों में पैरा कानूनी स्वयंसेवक) योजना, 2023 कहा जाएगा।

योजना का प्रयोजन एवं उद्देश्य:- योजना का उद्देश्य लापता बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों को पुलिस स्टेशन में एफआईआर/गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने तथा लापता बच्चों का पता लगाने में कानूनी सेवाएं प्रदान करना है।

योजना का उद्देश्य बुनियादी प्रकृति की कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सस्ती मशीनरी प्रदान करना है; एफआईआर दर्ज करने में सहायता करना, निर्दिष्ट पोर्टल पर फॉर्म 'एम' (गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी) भरना और लापता बच्चों का

पता लगाने से जुड़े सभी संस्थानों को सूचना भेजना सुनिश्चित करना, गुमशुदा बच्चों का शारीरिक विवरण और फोटो युक्त 'हयू एंड क्राई नोटिस' तैयार करना और प्रकाशन हेतु भेजा जाना।

II. परिभाषाएँ:

क) लापता बच्चा- ऐसा बच्चा जो कहाँ है, उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था जिसको कानूनी रूप से बच्चे को सौंपा गया है, जैसा भी मामला हो, को नहीं पता और न ही उन्हें बच्चे के गायब होने की परिस्थितियाँ या कारण पता है। ऐसे बच्चे को तब तक लापता माना जाएगा जब तक उसका पता न चल जाए या उसकी सुरक्षा स्थापित न हो जाए और जब तक उसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

बी) **पैरा लीगल स्वयंसेवक**- पैरा-लीगल स्वयंसेवक (पीएलवी) वे व्यक्ति होते हैं जो मैट्रिक की न्यूनतम योग्यता के साथ समाज के विभिन्न वर्गों से लाए जाते हैं।

III. <u>बच्चे के लापता होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u>

क) लापता बच्चे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, तस्करी या अपहरण के मामले के रूप में तुरंत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

बी) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित करें और बच्चे का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए एफआईआर को विशेष किशोर पुलिस इकाई को अग्रेषित करें।

ग) पुलिस के अतिरिक्त कर्तव्य :

i. लापता बच्चे की हाल की तस्वीर एकत्र करें और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दस्ते, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/मीडिया आदि के लिए प्रतियां बनाएं;

ii. निर्दिष्ट पोर्टल www.trackthemissingchild.gov.in पर फॉर्म "एम" (लापता व्यक्ति सूचना प्रपत्र) भरें। विशिष्ट निर्दिष्ट "गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र" भरें और तुरंत गुमशुदा दस्ता, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, पीआरसी, रेलवे पुलिस और अन्य संबंधित संस्थानों को भेजें।

iii. निर्दिष्ट पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड करने के बाद, लापता बच्चे या बाल देखभाल संस्थान के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पते और संपर्क फोन नंबर के साथ निकटतम कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को डाक/ईमेल द्वारा एफआईआर की प्रति भेजें।

iv. प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले लापता बच्चे की तस्वीर और भौतिक विवरण वाले पर्याप्त संख्या में ह्यू एंड क्राई नोटिस तैयार करें।

v. लापता बच्चे की तस्वीर और विवरण को यथासंभव प्रकाशित या प्रसारित करके व्यापक प्रचार करें।

(ए) प्रमुख समाचार पत्र
(बी) टेलीविजन/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
(सी) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और
(डी) सोशल मीडिया और उसके बाद, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा सुधार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा;

vi. लाउडस्पीकर के उपयोग और प्रमुख स्थानों पर ह्यू एंड क्राई नोटिस के चिपकाने और वितरण के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार करें। जनता तक पहुंचने के लिए सोशल नेटवर्किंग पोर्टल, एसएमएस अलर्ट और सिनेमा हॉल में स्लाइड का उपयोग किया जा सकता है।

vii. शहर या कस्बे के सभी आउटलेटों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर लापता बच्चों के मामलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया पर ह्यू एंड क्राई नोटिस वितरित करें।

viii. मूवी थिएटर, शॉपिंग मॉल, पार्क, गेम पार्लर जैसे रुचि के क्षेत्रों और स्थानों और ऐसे क्षेत्र जहां लापता या भागे हुए बच्चों की पहचान की जा सकती है और उन पर नजर रखी जा सकती है की खोज करें;

ix. जिस क्षेत्र से बच्चे के लापता होने की सूचना मिली थी, उसके आसपास और सभी संभावित मार्गों, पारगमन और गंतव्यों पर स्थापित क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकॉर्डिंग को स्कैन करें।

x. निर्माणाधीन स्थलों, अप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और क्लीनिकों, चाइल्ड लाइन सेवाओं और अन्य स्थानीय आउटरीच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस और अन्य स्थानों से पूछताछ करें।

xi. लापता बच्चों का विवरण पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों (एसएचओ) को उनके अधिकार क्षेत्र में सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों सहित भेजा जाना चाहिए और संबंधितों के साथ नियमित बातचीत करनी चाहिए ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

d) पुलिस स्टेशनों पर पैनल में शामिल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) के माध्यम से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सेवाएं लें।

e) www.trakethemissingchil.gov.in पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें। यदि जानकारी पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो पोर्टल पर अपलोड किए गए मामले के विवरण के साथ अनुपालन का मिलान करें।

f) बच्चे या उसके परिवार के लिए खतरे के स्तर का आकलन करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

g) आव्रजन अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), रेलवे और अन्य परिवहन प्राधिकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय और नगरपालिका एजेंसियां, और लापता बच्चों का पता लगाने और उनकी बरामदगी/बचाव के लिए सेवा वितरण में शामिल कोई भी गैर सरकारी संगठन को भी सूचित करें।

d) पुलिस स्टेशनों पर पैनल में शामिल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) के माध्यम से जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की सेवाएं लें।

e) www.trakethemissingchil.gov.in पोर्टल पर जानकारी अपलोड करें। यदि जानकारी पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो पोर्टल पर अपलोड किए गए मामले के विवरण के साथ अनुपालन का मिलान करें।

f) बच्चे या उसके परिवार के लिए खतरे के स्तर का आकलन करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

g) आव्रजन अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), रेलवे और अन्य परिवहन प्राधिकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय और नगरपालिका एजेंसियां, और लापता बच्चों का पता लगाने और उनकी

बरामदगी/बचाव के लिए सेवा वितरण में शामिल कोई भी गैर सरकारी संगठन को भी सूचित करें।

इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को कानून की उन बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराया जाए जिनका सामना हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। समाज में होने वाले आम टकराव अक्सर कानून की अनदेखी का नतीजा होते हैं। हालाँकि पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को कानूनी व्यवसायी बनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कानूनी जानकारी दी जा सकती है। उन्हें नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि उन्हें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुँचने के लिए कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूक किया जा सके।

1 **पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की सेवाएं**: लापता बच्चों के माता-पिता, अभिभावकों और परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) की सेवाओं का उपयोग उन्हें पुलिस स्टेशनों में तैनात करके किया जाएगा। प्रारंभ में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को 7 पुलिस स्टेशनों में सुबह 7:00 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को उनके संज्ञान में आने वाले किसी भी मामले में विशेष ध्यान देने के संबंध में सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में एक वर्णित प्रारूप में डीएलएसए को हर सप्ताह एक रिपोर्ट जमा करनी होगी।

2 **पैनल में शामिल किए जाने वाले पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) की संख्या**: 7 पुलिस स्टेशन हैं और इस प्रकार 14 पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को पैनल में शामिल करना उचित होगा, ताकि उन्हें शिफ्ट में तैनात किया जा सके।

3 **पारिश्रमिक की दर**: माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के अनुमोदन के संदर्भ में, पैरा-कानूनी स्वयंसेवकों को प्रति शिफ्ट या प्रति दिन 500/- रुपये का मानदेय दिया जाएगा।

4 **योग्यता और आयु मानदंड**: पीएलवी के रूप में चयनित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट (10+2) है। आयु मानदंड 25-65 वर्ष है, कानून के छात्रों के मामले को छोड़कर, जिनके लिए आयु मानदंड 18-65 वर्ष है।

5 चयन की प्रक्रिया: पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) का चयन विज्ञ सदस्य सचिव, लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित एक समिति द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

6 नियुक्ति का कार्यकाल: पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) को शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा जिसे उनके प्रदर्शन के आधार पर विज्ञ सदस्य सचिव की सिफारिश

पर आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस स्टेशनों में रोटेशनल आधार पर पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

7 पैरा लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) का पैनल और प्रशिक्षण: पैरा लीगल स्वयंसेवक (पीएलवीएस) को लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा, और निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा:

ए) बाल अधिकार :-

- पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनों की समझ प्रदान करना।
- उन्हें विभिन्न ऐसी परिस्थितियों का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य देना जिनमें बच्चे कठिन परिस्थितियों में हो सकते हैं और उन्हें राहत की आवश्यकता है।

बी) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 भारत में किशोर न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है।
- अधिनियम किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है और किशोर न्याय प्रणाली के पूर्वावलोकन में बच्चों की सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

सी) गुमशुदा बच्चों के मामलों की मानक संचालन प्रक्रिया

- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में लापता और बरामद किए गए बच्चों के मामलों से निपटने में पुलिस, बाल, कल्याण, समिति और किशोर न्याय बोर्ड की सहायता करने की परिकल्पना की गई है।
- (एसओपी) का उद्देश्य लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश बनाना है जो और हितधारकों के साथ समन्वय में काम करेंगे और लापता बच्चों के मुद्दों पर तत्काल प्रतिक्रिया देंगे।
- अभियोजन सहित त्वरित और प्रभावी कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करना। लापता बच्चों को और अधिक पीड़ित होने से रोकने के लिए तंत्र और प्रणालियाँ बनाना। सुनिश्चित करना कि पीड़ितों/गवाहों को उचित और समय पर सुरक्षा/देखभाल/ध्यान प्रदान किया जाए।

डी) **बाल श्रम (परिवीक्षा और विनियमन) अधिनियम, 1986**

• कुछ रोजगारों में बच्चों की नियुक्ति पर रोक लगाने और कुछ रोजगारों में बच्चों के काम की शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम।

ई) **यौन अपराध अधिनियम**, 2012 **से बच्चों का संरक्षण**

• यौन शोषण के मामले में बच्चे की सुरक्षा, संरक्षा और सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षित करना।

• बच्चों को यौन गतिविधियों के लिए प्रलोभन या जबरदस्ती से बचाना।

• वेश्यावृत्ति में बच्चों के शोषणकारी उपयोग और अश्लील सामग्री के निर्माण को रोकना।

• हर स्तर- रिपोर्टिंग, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, जांच और अपराधों का पता लगाने- पर बच्चे के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक कानून प्रदान करना।

• संवेदनशील और त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करना।

फ़) **भारत का संविधान**

• पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को संविधान की मूल संरचना के बारे में जानकारी देना।

• पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को निर्बल और वंचितों के प्रति संविधान की संवेदनशीलता के बारे में जानकारी देना।

• पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को यह बताना कि किस प्रकार कानूनी सेवाएं संविधान की मूल संरचना से उत्पन्न होती हैं।

जी**) कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की भूमिका**

• प्रतिभागियों को कानूनी सेवा प्राधिकरण, अधिनियम **1987** के तहत कानूनी सेवा संस्थानों की संपूर्ण संरचना और कार्यप्रणाली से परिचित कराना।

• प्रतिभागियों को **NALSA** की योजना का अवलोकन कराना।

• प्रतिभागियों को पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की भूमिका, क्या करें और क्या न करें, उनसे अपेक्षित व्यवहार के मानकों के बारे में जानकारी देना।

एच) **अपराधिक न्याय प्रणाली**

• प्रतिभागियों को आपराधिक प्रक्रिया का कार्यसाधक ज्ञान देना।

• प्रतिभागियों को आपराधिक कार्यवाही में शामिल अभियुक्तों और पीड़ितों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचित करना।

iv. कोर कमेटी का गठन:

लापता बच्चों के लिए योजना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक डीएलएसए में सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कोर समिति होगी, और इसमें एक महिला पुलिस अधिकारी शामिल होगी जो आईपीएस रैंक से नीचे की न हो (आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों सहित) जो कि पुलिस विभाग से नोडल अधिकारी भी होगी, **2** पैनल अधिवक्ता (जिनमें से एक महिला होगी), जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और कार्यक्रम अधिकारी, आईसीडीएस।

इसके अलावा, पुलिस अधीक्षक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और पुलिस स्टेशनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इस योजना के उद्देश्य के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के पद से नीचे की न हो।

पुलिस स्टेशन का दौरा करने वाले पैरा लीगल स्वयंसेवक (पीएलवी) मासिक आधार पर अपनी रिपोर्ट जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को सौंपेंगे, जिसमें एफआईआर/डीडीआर नंबर, बच्चे/माता-पिता/अभिभावक का नाम, उन्हें प्रदान की गई सहायता का प्रकार/प्रकृति सहित पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों का पूरा विवरण शामिल होगा। ऐसी रिपोर्ट पर संबंधित थानेदार की मोहर और हस्ताक्षर होंगे।

V. वित्तीय निहितार्थ

अभी तक, लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण ने **32** पीएलवी को प्रशिक्षण दिया है और निर्धारित शुल्क के अनुसार, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को **500/-** रुपये प्रति दिन का भुगतान किया जा रहा है जो महीने में **10** दिन काम कर रहे हैं।

पैरा लीगल स्वयंसेवक (पीएलवी) लापता बच्चों और बच्चों के खिलाफ अन्य अपराधों का पता लगाने में पीड़ित/आवेदकों/शिकायतकर्ताओं की सहायता के लिए पुलिस स्टेशनों का दौरा करेंगे। संबंधित **SHO** द्वारा उनकी उपस्थिति के उचित सत्यापन के बाद पैरा लीगल स्वयंसेवक (**PLV)** को मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

प्रारंभ में पैरा-लीगल स्वयंसेवक को सभी **7** पुलिस स्टेशनों में शिफ्ट में यानी सुबह **07:00** बजे से दोपहर **01:00** बजे तक और दोपहर **01:00** बजे से शाम **7:00** बजे तक प्रतिनियुक्त किया जाएगा। पीएलवी को **500/-** रुपये प्रति शिफ्ट का मानदेय दिया जाएगा। और शुरुआत में **14** पैरा लीगल वालंटियर को कार्य पर लगाया जाएगा।

संबंधित पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशनों में पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (पीएलवी) के बैठने और काम करने के लिए उचित सामान उपलब्ध कराएगा। पैरा लीगल स्वयंसेवक

(पीएलवी) को स्टेशनरी आदि लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके अपने फंड से प्रदान की जाएगी।

योजना की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार से योजना के लिए धनराशि की मांग की जाएगी।

*****

DEPARTMENT OF LAW AND JUSTICE

Email: secy-law@ladakh.gov.in

Room No: 101, Ground Floor
Old JNV Building, UT Secretariat,
Leh – 194101

Subject: Scheme for empanelment of Para Legal Volunteers (PLVs) in Police Station for missing children.

Ref: Order dated 19.09.2022 passed by Hon'ble Supreme Court of India under Writ Petition(s) (Civil) No(s). 427/2022 titled Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India & Others.

Order No: 17-LA(LD) of 2023
Dated: 10th day of July, 2023.

In compliance to Order dated 19.09.2022 passed by Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition(s) (Civil) No(s). 427/2022 titled Bachpan Bachao Andolan V/s Union of India & Others, the Administration of Union territory of Ladakh in consultation with the Pattern-in-Chief (Hon'ble Chief Justice of High Court of J&K and Ladakh), Ladakh Legal Services Authority, hereby notifies the Scheme (Annexure-A to this Order), for empanelment of Para Legal Volunteers (PLVs) in Police Station for missing children and other offences against children in the Union territory of Ladakh.

This issues with the approval of the Hon'ble Lieutenant Governor.

(Fayaz Ahmad Sheikh)
Secretary, Law and Justice

No: Secy/L&JUTL/2023/367-72 Dated: 10.07.2023

ANNEXURE-A

Order No: 17-LA(LD) of 2023 dated 10.07.2023

SCHEME FOR EMPANELMENT OF PARA –LEGAL VOLUNTEERS IN POLICE STATION FOR MISSING CHILDREN AND OTHER OFFENCES AGAINST CHILDREN IN THE UNION TERRITORY OF LADAKH

In compliance to order dated 19-09-2022, passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the writ Petition (C) No. 427, in the case titled **Bachpan Bachao Andolan** V/s **Union of India.** The Administration of Union territory of Ladakh hereby framed the Scheme for empanelment of Para-Legal Volunteers in the Police Stations for missing children and other offences against children.

SCHEME FOR EMPANELMENT OF PARA –LEGAL VOLUNTEERS IN POLICE STATION FOR MISSING CHILDREN IN UNION TERRITORY OF LADAKH.

I. Background

Right to free legal aid and assistance is an essential ingredient of reasonable, fair and just procedure for a person accused of any offence. It is implicit in the guarantee of Article 21. It is, therefore, essential that access to justice is available at all stages of the criminal process. Access to justice is during the early stages of the criminal process has its importance. It ensures, amongst other things, protection of the rights of people when they are most vulnerable. It strengthens the criminal justice system.

While availability of services of a trained lawyer at the stage of trail in the criminal prosecution and inferentially, of free legal aid, for those who cannot afford a lawyer on their own, is the norm in most jurisdictions, legal aid during pre-trail stages has its importance. It ensures, amongst other things, protection of the rights of people when they are most vulnerable and thereby strengthen the criminal justice system.

Hon'ble Supreme Court in **Bachpan Bachao andolan versus Union of India & Ors vide Writ Petition (Civil) No. 75/2012 held that:**

> *"Each police station should have at least one police Officer, especially instructed and trained and designated as a Juvenile Welfare Officer in terms of Section 63 of Juvenile Act. We are also inclined to accept the suggestion that there should be, in shifts, a Special Juvenile Officer on duty in the police station to ensure that the directions contained in this order are duly implemented.* ***To add a further safeguard, we also direct the National Legal Service Authority, which is being represented by its Member Secretary through Ms. Anitha Shenoy, learned advocate , that the para-legal volunteers, who have been recruited by the Legal Services Authority, should be utilized, so that there is at least, one para-legal volunteer, in shifts, in the police***

station to keep a watch over the manner in which the complaints regarding missing children and other offences against children, are dealt with."

It is also a constitutional mandate that legal aid is a Fundamental right. Article 39A Constitution of India gives special importance to Para Legal Volunteers and same is reproduced below:

The state shall secure that the operation of the legal system promotes justices, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes in or any other way, to ensure that opportunities for securing justices are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

As per the constitutional mandate and on the directions of Hon'ble Apex Court Ladakh Legal Services Authority has framed the following Scheme for providing Services of Para-Legal Volunteers in various Police Stations in Union territory of Ladakh for providing assistance in cases of missing children.

Name of the Scheme: The Scheme shall be called the Union territory of Ladakh Legal Services Authority (Para Legal Volunteers in Police Stations for Missing Children) Scheme, 2023.

Aim and Objective of the Scheme: - The objective of the scheme is to provide legal services to the parents/guardians of the missing children in Police Station in lodging FIR/Missing report and in tracing the missing children.
The aim of the scheme is to provide an inexpensive machinery for rendering legal services of basic nature like; assistance in lodging FIR, filling form 'M' (Missing Persons information) on the designated portal and ensure sending of the information to all the institution to all the institutions connected with tracing of the missing children, prepare hue & cry notices containing photographs and physical description of the missing children to be sent for publication.

II. <u>Definitions:</u>

a) **Missing Child** – A child whose where abouts are not known to the parents, legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances or causes of disappearance, and shall be considered missing and in need of care and protection until located or his safety and wellbeing established.

b) **Para Legal Volunteers** – Para –Legal Volunteers (PLVs) are persons who are drawn from different section of the society with minimum qualification of matriculation.

III. Procedure to be followed when the child goes missing

a) Upon receipt of a complaint regarding a missing child, an FIR should be registered forthwith as a case of trafficking or abduction.

b) Inform a Child Welfare Police Officer and forward the FIR to the Special Juvenile Police Unit for immediate action for tracing the child.

c) Police shall also:

xii. Collect a recent photograph of the missing child and make copies for District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/Media etc.;

xiii. Fill form "M" (Missing Persons Information Form) on the designated portal www.trackthemissingchild.gov.in. Fill the specific designated ''Missing Persons Information Form" and immediately send to Missing Squad, District Missing Persons Unit, National Crimes Records Bureau, State Crimes Records Bureau, and Central Bureau of Investigation, PRCs, Railway Police and other related Institutions.

xiv. Send copy of FIR by post/email to the office of nearest Legal Services Authority along with addresses and contact phone numbers of parents or legal guardian of the missing child or the child care institution, after uploading the relevant information on to the designated portal.

xv. Prepare sufficient number of Hue and Cry notices containing photograph and physical description of the missing child to be sent for publication.

xvi. Give wide publicity by publishing or telecasting the photograph and the description of missing child, as feasible in

(a) Leading Newspapers

(b) Television/Electronic Media,

(c) Local cable television network and

(d) Social media and thereafter submit for rectification by the Board or the Committee or the Children Court, as the case may be;

xvii. Give wide publicity in the surrounding area through the use of loudspeaker and the distribution and affixture of Hue and Cry notice at prominent places. Social networking portals, short message service alerts and slide in cinema halls can be used to reach out the masses.

xviii. Distribute Hue and Cry notice at all the outlets of the city or town that is Railway Stations, bus stands, STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR

CASES OF MISSSING CHILDREN at airports, regional passport offices, and other prominent places.

xix. Search areas and spots of interest such as movie theatres, shopping malls, parks, game parlors and areas where missing or run away children should be identified and watched;

xx. Scan the recordings of the Close Circuit Television Cameras installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes, transit and destinations.

xxi. Inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals and clinics, child line services and other local outreach workers, railway police and other places.

xxii. Details of missing children should be sent to the District Crime Records Bureau of the neighbouring States and Station House Officers (SHOs) of the bordering police stations including in charge of all police posts in their jurisdiction and shall conduct regular interaction with concerned so that follow up action is ensured.

d) Invoke the services of District Legal Services Authorities through empanelled lawyers and the Para Legal Volunteers (PLVs) at the police stations.

e) Upload information on the www.trakethemissingchil.gov.in portal. In case the information is already uploaded, match the compliant with case details uploaded on the portal.

f) Assess the level of threat or danger to the child, or his/her family and take immediate steps to ensure their protection.

g) Also inform immigration authorities, Border Security Force (BSF). Railways and other transport authorities, provincial/territorial and municipal agencies, and any NGOs involved in service delivery for spotting and recovering/rescuing the missing children.

d) Invoke the services of District Legal Services Authorities through empanelled lawyers and the Para Legal Volunteers (PLVs) at the police stations.

e) Upload information on the www.trakethemissingchil.gov.in portal. In case the information is already uploaded, match the compliant with case details uploaded on the portal.

f) Assess the level of threat or danger to the child, or his/her family and take immediate steps to ensure their protection.

g) Also inform immigration authorities, Border Security Force (BSF). Railways and other transport authorities, provincial/territorial and municipal agencies, and any NGOs involved in service delivery for spotting and recovering/rescuing the missing children.

Therefore, it is extremely essential that Para Legal Volunteers (PLVs) are introduce to the basic concepts of law that we encounter in our day to day life. The common conflicts in the society, very often, are the result of ignorance of law. Although the Para-Legal Volunteers (PLVs) cannot be trained to become legal practitioners but they can be legally informed. They would be informed about basic rights of the citizens so as to make them aware about the rights and duties of the citizens and availabilities of legal recourse for getting relief for aggrieved persons.

1 **Services of Para- legal Volunteers:** Services of Para-legal volunteers (PLVs) shall be utilized by deputing them in police stations to assist the parents, guardians and family members of Missing Children. Initially Para-Legal volunteers (PLVs) shall be deputed in 7 Police Stations, 7:00 AM to 6:00 PM. Para-Legal Volunteers (PLVs) would be required to submit a report every week to DLSA regarding the work done during the week in any matter regarding special attention which comes to his/her notice in a described format.

2 **Number of Para Legal Volunteers (PLVs) to be empanelled:** There are 7 Police Stations and as such it would be appropriate to empanel 14 Para Legal Volunteers (PLVs), so that they can be deputed in shift.

3 **Rate of remuneration:** In reference to the approval of the Hon'ble Executive Chairman, Para- Legal Volunteers shall be paid an honorarium of Rs 500/- per shift or per day.

4 **Qualification and Age Criteria**: Minimum qualifications required to be selected as a PLV is Intermediate (10+2). The age criteria is 25-65 years except in case of Law Students for which the age criteria is 18-65 years.

5 **Procedure of Selection:** Para Legal Volunteers (PLVs) shall be selected through Personal Interview by a committee to be constituted by Ld. Member Secretary, Ladakh Legal Services Authority.

6 **Tenure of engagement:** Para Legal Volunteers (PLVs) shall be empanelled initially for a period of one year which shall be further extended on recommendation of the Ld. Member Secretary, on the basis of their performance. Para Legal Volunteers (PLVs) shall be deputed on rotational basis in the police stations.

7 Empanelment and Training of Para Legal Volunteers (PLVs) : Para Legal Volunteers (PLVS) shall be empanelled by Ladakh Legal Services Authority, and shall be trained on the following topics:

a. Child Rights :-

- To provide Para-Legal Volunteers and understanding of the different laws relating to children.
- To give them a clear perspective of the different situations in which the children can be in difficult circumstances and need relief.

b. Juvenile Justice (Care and protection of children) Act, 2015

- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 is the primary legal framework for juvenile justice in India.
- Act provides for a special approach towards the prevention and treatment of juvenile delinquency and provides a framework for the protection, treatment and rehabilitation of children in the preview of juvenile justice system**.**

c. Standard Operating Procedure of Cases of Missing Children

- Standard Operating Procedure (SOP) envisages assisting Police, Child, Welfare, Committee and Juvenile Justice Board in dealing with the cases of missing and found or recovered children.
- Objective of the (SOP) is to put in place guidelines which dealing with cases of missing children and to work in co-ordination with stakeholder and respond with urgency to issues of missing children.
- Ensure expeditious and effective law enforcement including prosecution. Create mechanism and systems to prevent further victimization of missing children. Ensure that appropriate and timely protection/care/attention is provided to Victims/witnesses.

d. Child Labour (Probation and Regulation) Act, 1986

- An Act to prohibit the engagement of children in certain employments and to regulate the conditions of work of children in certain employments.

e. Protection of children form Sexual Offences Act, 2012

- To secure a child's right to safety, security and protection form sexual abuse.
- To protect children from inducement or coercion to sexual activity.

- To prevent exploitative use of children in prostitution and generation of pornographic material.
- To provide a comprehensive legislation to safe guard the interest of the child at every stage – reporting, recording of evidence, investigation and trail of offences.
- To provide for establishment of special courts for sensitive and speedy trial.

f. Constitution of India

- To inform the Para-Legal Volunteers about the basic structure of the constitution.
- To inform the Para-Legal Volunteers about the sensitivity of the Constitution toward the week and the underprivileged.
- To inform the Para-Legal Volunteers how legal services emanate from the basic structure of the constitution.

g. Legal Services Authority Act & Role of Para-Legal Volunteers

- To introduce the participants to the entire structure and working of the legal services institutions under the Legal Services Authorities, Act 1987.
- To give the participants an overview of the scheme of NALSA.
- To give the participants an inside into the role of Para-Legal Volunteers, do's and don'ts, Standards of the behaviour expected from them.

h. Criminal Justice System

- To give the participants a working knowledge of criminal procedure.
- To inform the participants about the rights and duties of accused and victims involved in the criminal proceedings.

IV. Constitution of Core Committee:

For the purpose of carrying out the scheme for missing children, each DLSA shall have a core Committee headed by Secretary District Legal Services Authority, and consisting of a female police officer not below the rank of IPS (including IPS trainee officers) who shall also be the Nodal Officer from Police Department, 2 Panel Advocates (one of whom shall be female), Chairman of District Child Welfare Committee and Programme Officer, ICDS,

Further, the Superintendent of Police shall appoint a female Police Officer (not below the rank of IPS trainee officers) to be the Nodal Officer for the purpose of this Scheme to coordinate between the District Legal Services Authority and Police Stations.

The Para Legal Volunteers (PLVs) visiting the police station would submit their report on monthly basis to District Legal Services Authorities mentioning therein the complete details of cases they attend in police stations including FIR/DDR No., name of child/parents/guardian, kind/nature of assistance provide to them. Such report shall stamp and signed by the SHO concerned.

V. Financial Implication

As of today, Ladakh Legal Services Authority has imparted training to 32 PLVs and as per the fee scheduled, Para-Legal Volunteers are being paid Rs. 500/- per day and are working for 10 days in a month.

The Para Legal Volunteers (PLVs) shall visit the Police stations to assist the victim/applicants/complainants in tracing the missing children and other offences against the children. The honorarium will be paid to the Para Legal Volunteers (PLVs) after due verification of his/her attendance by the concerned SHO.

Initially Para-Legal Volunteers will be deputed in all the 7 police Stations, in shift i.e from 07:00 am to 01:00 pm and from 01:00 pm to 7:00pm.PLVs shall be paid an honorarium of Rs. 500/- per shift and initially 14 Para Legal Volunteer has to be engaged.

Concerned Police Stations would be providing paraphernalia for proper sitting and working of Parva Legal Volunteers (PLVs) in the police stations. Offences stationery to the Para Legal Volunteers (PLVs) would be provided by Ladakh Legal Services Authority from its own funds.

Funds for the scheme would be demanded from the state government after notification of the Scheme.

*****

SHEIKH FAYAZ
Digitally signed by SHEIKH FAYAZ
Date: 2023.08.24 14:56:28 +05'30'

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."

YETINDRA MADHUSUDAN MARALKAR
Digitally signed by YETINDRA MADHUSUDAN MARALKAR
Date: 2023.08.25 11:19:31 +05'30'